कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
पत्रांक 2820 / 3-3 दिनांक:देहरादून:फरवरी: 27 2023

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा ''राज्य सैक्टर योजना'' के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु निविदायें पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कुरियर/निविदा पत्र पेटी में दिनांक **10.03.2023 के सांय 4 बजे** तक आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक **09.03.2023** तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, 5–तिलक रोड, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्य का विवरण/प्राक्कलन व निविदा की शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। निविदा में दी जाने वाली दरों में जी0एस0टी0 का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक **10.03.2023 को सांय 4.30** बजे अधोहस्ताक्षरी या अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वन विभाग की **वेबसाईट** **www.forest. uk.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	बयाना की धनराशि
1.	देहरादून जू मालसी में 10'x15' feet एल0ई0डी0 वॉल मय समस्त सामग्री लगाये जाने का कार्य।	10 दिन	20,00,000.00	₹ 2000 + 18% जी0एस0टी0	₹ 40,000.00

नोटः– शर्तें एवं प्रतिबन्ध तथा कार्य का आगणन/प्राक्कलन देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के कार्यालय /नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

आई. टी. सी. सी.
विभागीय वेब साईट अपलोड
करें।

D.C.
28.2.2023

एल0ई0डी0 वॉल लगाये जाने के ठेका की शर्तें

1. कार्य की लागत के सापेक्ष प्रत्येक कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अनुसार धरोहर धनराशि बचत पत्र/किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के नाम से बन्धक हो निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है।
2. कार्य/सामग्री में बढोत्तरी/निविदा स्थगन/निरस्त/परिवर्तन हो सकता है, तथा इस हेतु किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
3. उक्त निविदा आमंत्रण के पश्चात कार्य से सबंधित यदि किसी कार्य हेतु भविष्य में जनहित में पुनः निविदा आमंत्रण को आवश्यक समझा जाता है तो देहरादून वन प्रभाग इस हेतु स्वतंत्र होगा।
4. बिना धरोहर धनराशि संलग्न किये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. विभाग द्वारा दिये गये स्ट्रक्चर के ड्राईग/डिजायन के अनुसार कार्य करना होगा।
6. समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार जी0एस0टी0 आयकर, रायल्टी, लेबर सेस एवं अन्य कर कटौतियों ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।
7. निविदा के साथ ₹ 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ₹ 1/– के रसीदी टिकट लगाकर निविदा दरों की वैधता के सबंध में अनुबंध हस्ताक्षर कर लगाना आवश्यक होगा।
8. टेण्डर साफ भरना चाहिए और उसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।
9. निविदा के तीन दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित करना होगा। ऐसा न होने पर जमानत के तौर पर जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. कार्य के सम्पादन में यदि किसी प्रकार की क्षति विभाग को होती है तो इसका हर्जाना सम्बंधित ठेकेदार को देना होगा।
11. ठेके के सम्बंध में विभाग द्वारा कोई भी समाग्री तथा मजदूर परिवहन तथा स्टोर व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं किया जायेगा, यह सम्पूर्ण व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
12. दर सभी करों सहित अंकित करना अनिवार्य है।
13. कार्य आदेश होने पर यदि निविदादाता समयावधि में कार्य पूर्ण करने में अक्षम रहता है अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। और इसके कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
14. शेडयूल–बी में निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी साथ ही निर्धारित समय में कार्य सम्पादित करना होगा अन्यथा शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अनुसार ठेकेदार के भुगतान बिल से अर्थ दण्ड की कटौती की जायेगी।
15. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के मध्य व कार्य समाप्ति का फोटोग्राफ इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही कार्य के बिलों का भुगतान किया जायेगा। किये गये कार्य का भुगतान कार्य पूर्ण/गुणवत्ता के अनुसार एवं विभाग द्वारा सन्तोषजनक पाये जाने पर ही किया जायेगा।
16. निविदादाता को निविदा की शर्तों को पढ़ एवं समझकर निपिदापत्र भरना होगा। यदि इस सम्बंध में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग.से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
17. निविदा से सम्बंधित समस्त अधिकार, अध्यक्ष, निविदा समिति/प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून में निहित होंगें। किसी भी निविदा के सबंध में निविदा समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदा समिति के मांगे जाने पर निविदादाता को मूल प्रमाण पत्र तत्समय ही प्रस्तुत करने होंगें।

(3)

18. निविदादाता द्वारा अनुबन्ध पत्रों की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता व सुसंगत धाराओं के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
19. निविदा के सम्बंध में पक्ष समर्थन करना निषेद है। ऐसा होने पर सम्बंधित निविदादाता की निविदायें निरस्त/अस्वीकृत की जा सकती हैं।
20. निर्माता कम्पनी/फर्म/डीलर का GST रजिस्ट्रेशन एवं पैनकार्ड सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. निविदादात्ता को कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर परफारमेंस सिक्योरिटी की धनराशि स्वीकृत निविदा की धनराशि का 10 प्रतिशत बचत पत्र/किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक की एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0 अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के नाम से बन्धक हो जमा करना अनिवार्य होगा। एक वर्ष के सफल संचालन के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।
22. निविदादात्ता एल0ई0डी0 वाल स्थापित होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक एल0ई0डी0 वाल में किसी भी तकनीकी कमी को स्वयं के व्यय पर ठीक कराने हेतु बाध्य होगा।
23. निविदादात्ता को एल0ई0डी0 वाल लगाने का कार्य सूर्य उदय होने के बाद एवं कार्य समाप्ति सांय को सूर्य अस्त होने से पहले करना होगा।
24. आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधि हेतु निविदादात्ता उत्तरदायी होगा।
25. एल0ई0डी0 कार्यस्थल पर कार्य होने के दौरान मलवा आदि की सफाई निविदादात्ता को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
26. निविदादात्ता द्वारा यदि एल0ई0डी0 मूं तकनीकी खराबी होने पर तत्काल ठीक नहीं कराया जाता है तो धरोहर धनराशि से उक्त व्यय का समायोजन कर लिया जायेगा।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 2820/3-3 दिनांकःदेहरादूनःफरवरीः 27, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 मुख्य वन संरक्षक,गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2 मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सेल, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
3 वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4 जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
5 खण्ड विकास अधिकारी, रायपुर, देहरादून।
6 अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
7 समस्त वन क्षेत्राधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8 उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश एवं देहरादून।
9 कार्यालय सूचना पट्ट हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।